

कार्यालय उपजिलाधिकारी, बागेश्वर।

संख्या-445/रा0अ0-भूमि प्रस्ताव/2022-23
सेवा में,

दिनांक-10 सितम्बर, 2023

अधिराशी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर।

विषय- नव स्वीकृत मोटर मार्ग निर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने विषयक।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी कार्यालय, बागेश्वर पत्र संख्या-207/एडबीस/3(19-20)-वन (क्ष0व)/2023 दिनांक-21.08.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करें। जिसमें जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत एस0सी0एस0पी0 योजना में बैजनाथ-वेरीनाग मोटर मार्ग के कि0मी0 11 रवाईखाल से बुडगढ-थकलाड-बिलेख मोटर मार्ग निर्माण वास्ते क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने का उल्लेख किया गया है। उक्त निर्माण कार्य उपरान्त क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि का प्रस्ताव तहसीलदार, बागेश्वर के माध्यम से प्राप्त किया गया।

तहसीलदार, बागेश्वर द्वारा उपर्युक्त निर्माण उपरान्त क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। जो निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	योजना का नाम जिसके लिए भूमि का प्रस्ताव उपलब्ध कराया जा रहा है।क	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गयी भूमि का गांव /पटवारी क्षेत्र का नाम।	तहसील का नाम।	प्रस्तावित भूमि का खसरा, खाता व भूमि की श्रेणी				प्रस्तावित की जा रही भूमि है० में।	
				खाता संख्या	श्रेणी	खसरा संख्या	रकबा		
01	जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत एस०सी०एस०पी० योजना में बैजनाथ-वेरीनाग मोटर मार्ग के कि०मी० 11 रवाईखाल से बुडगढ-थकलाड-बिलेख मोटर मार्ग निर्माण कार्य।	नायल	काण्डे	बागेश्वर	30	9(3) क वन पंचायत	544 545 551 552	04.130 है० 01.506 है० 02.500 है० 05.770 है०	13.906 है०

अतः उक्तानुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु तहसीलदार, बागेश्वर के माध्यम से प्राप्त भूमि का प्रस्ताव अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक: यथोक्त।

[हस्ताक्षर]
उपजिलाधिकारी,
बागेश्वर।

प्रतिलिपि:- 01. जिलाधिकारी महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

02. प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, बागेश्वर को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

[हस्ताक्षर]
उपजिलाधिकारी,
बागेश्वर।

[हस्ताक्षर]